न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

उपस्थितः–श्री पंकज कुमार– II, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3652)

UPHP120030922022

पंजीकरण संख्या–169/2024

वाद सं०–169/2024

साजिद आदि बनाम नरगिस उर्फ रानी आदि

दिनांकः–18.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्तागण समझौतानामा प्रार्थनापत्र दिनांकित 03.08.2026 मय शपथपत्र दाखिल किया गया है। प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. उभय पक्षकार द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्तागण समझौतानामा दिनांकित 03.08.2026 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि " प्रथम पक्षगण व द्वितीय पक्षगण एक ही परिवार के हैं। दोनों पक्षों में समाज के सम्मानित व्यक्तियों के बीच बैठकर समझौता हुआ कि मौहल्ला दरगाह शरीफ तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड में स्थित मकान 107 वर्ग गज जिसमें कमरे, आंगन, बैठक, रसोई, लैट्रिन बाथरूम बने हैं। जिसकी दिशाए पूरब मे आबिद का मकान, पश्चिम मे अल्ला दिया तेली का खंडर, उत्तर में अरूण का मकान, दक्षिण में आम रास्ता है। जो वाद पत्र नक्शा–नजरी में अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित है तथा एक खाली प्लाट 45 वर्ग गज जिसकी दिशाए पूरब में हबीव का मकान, पश्चिम में मस्जिद, उत्तर में हमीद का मकान, दक्षिण में गली है। जिसमें दोनों पक्षों का आपस मे समझौता हुआ। उक्त सम्पत्ति द्वितीय पक्षगण को दी गई है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से उक्त सम्पत्ति की बावत अपनी समस्त रकम प्राप्त कर ली है। प्रथम पक्ष का कोई भार द्वितीय पक्ष पर उक्त सम्पत्ति की बावत शेष नहीं रहा है। प्रथम पक्ष भविष्य में भी कोई बाद विवाद उक्त सम्पत्ति की बावत द्वितीय पक्ष के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय मे योजित नहीं करेगी। दोनों पक्षों ने यह समझौता बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से लिखा दिया है। समझौते के आधार पर उपरोक्त केस की कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

4. परिशीलन से विदित है कि समझौतानामा प्रमाणीकरण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सभी पक्षकार उपस्थित आये तथा सभी पक्षकारों को यह संधिपत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। पक्षकारों द्वारा अपनी स्वतंत्र सहमति होने का कथन किया गया। समझौते पर पक्षकारों ने हस्ताक्षर किये। वादीगण के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चौ० शरियत अली व प्रतिवादीगण के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नैनपाल सिंह द्वारा की गयी। समझौता दिनांक–03.08.2026 को तस्दीक किया गया है। किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रस्तुत किया गया समझौतानामा किसी भी लोक नीति के विरुद्ध नहीं है तथा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (1872 का 9) के अंन्तर्गत शून्य व शून्यकरणीय नहीं है। अतः समझौतानामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद सुलहनामें की शर्तों के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा दिनांकित– 03.08.2026 इस निर्णय व डिक्री का अंश रहेगा। उपरोक्त निर्णय व डिक्री पर निम्नलिखित शर्त अधिरोपित की जा रही है–

1. पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

2. सुलहनामें के आधार पर पारित निर्णय से कोई तृतीय पक्ष बाध्य नहीं होगा और न ही उक्त सुलहनामा किसी तृतीय पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करेगा।

3. सुलहनामें के आधार पर पारित निर्णय किन्हीं विधि के प्रावधानों को शून्य घोषित करने वाला नहीं होगा।

4. सुलहनामें के आधार पर पारित निर्णय के आधार पर यदि विवादित सम्पत्ति का कोई संव्यवहार किया जाता है, तो नियमानुसार निबंध शुल्क व स्टाम्प शुल्क देय होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ. कोड UP3652)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे.एम.
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।